[Mr Speaker]

So far as Shri Vajpayee's allegation is concerned, the Minister has stated that he had no knowledge. Shri Vajpayee in his statement has quoted Shri Tulmohan Ram and minutes of a Committee. He has not shown anywhere that the statements made by Shri Tulmohan Ram in a Committee were with the knowledge of Shri L. N. Mishra. In a question of privilege the responsibility and the act of commission or omission must be direct. I do not think this is a case where Shri L. N. Mishra has misled the House.

I therefore do not give my consent to these notices of question of privilege

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No points of order now. No discussion on this. I am not here to explain my ruling. I am not allowing anything. I have done it with a full conscience I have not called any member. Nothing said will go on record. There should be no discussion on this. I am so sorry.

MR. SPEAKER: There can be no discussion: no points of order on a ruling.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER Whatever was relevant in the records I have seen Shri Indrajit Gupta—absent. Shri Ramavatar Shastri—absent.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Whatever any Member has said and whatever has happened, it will not go on record I have not called any Member on this item I have gone to the next item Shri Darbara Singh.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have given my ruling. You cannot compel me to give a ruling which suits you. It may be right; it may be wrong; it is according to my conscience. No Member is allowed except Mr. Darbara Singh. Only Sardar Darbara Singh is on his legs.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: We walk out as a protest against your ruling. (*Interruptions*).

Shri Shyamnandan Mishra and some other hon. members then left the House.

MR. SPEAKER: Shri Darbara Singh.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): Sir, I have sought your permission I have some very important documents .

MR SPEAKER: You have already spoken I cannot give you a second chance.

12.40 hrs.

QUESTIONS OF PRIVILEGE AGAINST SHRI R. N. GOENKA —*contd.*

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रिविलेज मोशन पर कुछ कहना चाहता हू जो श्री गोयनका के खिलाफ लाया गया है। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हू कि हम अपने हाउस की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यह चीज चाहते है। यहा सवाल उठा मिस-कांडक्ट का। इस हाउस की प्रिविलेज को गिराने का काम किया गया, कुछ लोगो ने चीटिंग की, कुछ और खराबियां की जो इस हाउस को जैब नही देती। इसलिए हम एक मेम्बर की प्रोटेक्शन चाहते है और वह मेम्बर हमे पता नही, मुझे तो जो मालूम हुआ वह यह कि वह जनसघ के मेम्बर थे, हट गये, हट कर फिर इडिपेंडेंट एलेक्शन लडे, लेकिन फिर सिम्बल जो था वह जनसंघ का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है और वह अपनी जिम्मेदारी से मुनहरफ नही हो सकते हैं। उन्होंने ठीक कहा है कि जहां जनसंघ कहेगा

वहा वह इमदाद करेंगे । इसलिए वह उनका हक बनता है । मै नहीं कहता कि वह उनका हक नहीं बनता है । इसलिए उन्होने जयप्रकाश नारायण जी को या किसी और को इनकी मार्फत कोई मदद की हो तो वह उनका हक बन जाता है और यह उन्होंने माना भी कि हम ने मदद की है । वह बहुत अच्छे आदमी है कि उन्होने मान लिया कि जो कुछ आज हो रहा है वह उनके पैसे की झन्कार और उसकी बदौलत हो रहा है । मै समझता हू कि यह वह बाहर करे, जो मर्जी हो करे, वह चाहे जिस किसी को पैसा दे क्योंकि हर सरमायेदार की यह आदत होती है कि वह रुपया कही बहुत अनफेयर मीन्स के जरिए कमाता है और फिर उसको ऐसे लोगो पर खर्च करने की कोशिश करता है जिस से कि उसको और पैसा हासिल हो सके । उसके लिए वह पैसे को खर्च करता है, और किसी के लिए नही । इसलिए वह रुपया हासिल करने के लिए रुपये का अखराज कर रहे है ताकि रुपया उनके पास आये । उसके लिए वह उन्होने माना है । लेकिन एक मेम्बर और वह मेम्बर मुझे पता नही कि यही मेम्बर है या गोयनका साहब और कोई है, अगर यही है तो इन्होने हमारे हाउस की बहुत बेइज्जती की है । सन् 66 मे इनके खिलाफ दो केसेज चले । दो फर्मे इनकी है, उसमे एक पंजाब नेशनल बैंक का—हमे यह भी खेद है कि उसका नाम पजाब नेशनल बैंक है

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से पूछता हू कि सन् 66 मे उस वक्त तो यहा वह मेम्बर ही नही थे ।

श्री दरबारा सिंह : पजाब नेशनल बैंक से मुझे कुछ लेना-देना नही है । लेकिन उसमे पजाब का नाम आता है इसलिए मझे और दुख है कि इन्होने वहा से लूट-मार की है । दो फर्मों के नाम इन्होंने वहा से न्यूजप्रिंट के नाम पर पैसा निकाला और पैसा किस बात के लिए खर्च करते रहे ? इसी खुराफात के लिए कि किसको पैसा दे कर आगे लडाए और फिर अपने ज्यादा पैसा हासिल करे. . . (व्यवधान) आप ईयर की बात करते है । एक खराबी मै ने या आप ने बाहर की हो और वह खराबी लगातार चलती रहे तो उसका जिक्र यहा न किया जाय ? यह क्या आप बात करते है ?

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह तो मेम्बर 1971 में हुए ।

श्री दरबारासिंह 71 म बहुत अच्छे हो गये जो 66 मे खराब थे ? . . (व्यवधान) . जिस ढग मे आप इन्फार्मेशन मागते है वह मै जानता हू । अगर उसके हक मे आपको कुछ कहना है तो जरूर कहिये ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : ये यह जानना चाहते है कि बीमारी नई है या पुरानी?

श्री दरबारा सिंह : यह बहुत पुरानी बीमारी चलती आ रही है । सन् 66 मे इन्होंने अपनी दो फर्मों के नाम पैसा निकाला । फिर जब उनसे पूछा गया तो तीसरी फर्म का जो एग्जिस्ट नही करती उसके नाम पर यह कहा कि हम ने न्यूजप्रिन्ट उसके लिए लिया । यह उसका फ्राड है और यह चीटिंग है और इसके लिए हर वह खराब लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, हर लफ्ज जो कानून मे गन्दा हो सकता है वह इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । वह सब इनके खिलाफ उस चार्जशीट मे लगा है । हमे वह चार्जशीट कही मिल पाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहा 6–7 दिन तुलमोहन राम का नाम लेकर खुराफात होती रही (व्यवधान) अब आप लाये है तो कही लाइब्रेरी मे रखवा दे ताकि हम लोग देख तो ले कि हैवान का असली चेहरा क्या है ? वह हम शीशे में देखना चाहते है .(व्यवधान) . . . आप उसे टेबल पर रखने के लिए कह दीजिये ।

[श्री दरबारा सिंह]

जितनी इन्वेस्टिगेशन कार्ड हुई हो। उन्होंने वह सब कुछ जो किया है अपनी एमेट्स का बनाने के लिए जो भी किया है उसकी जितनी भी जाच हुई हो वह हमे देखने को मिल जाय। इतना फ्राड और इतना नगा फ्राड चलाने मे ये माहिर है। यहा बहुत कुछ उन्होने कहा गाली निकाली कहा मैं यह कहूगा मे वह कहूगा, तो हम इस बात मे तो उस्त नही है क्योकि हम जाती कोई उनसे अदावत नही है, हमे उनके कामों मे अदावत है जो काम उन्होने किये है उनसे अदावत है। जो नेक काम करने के लिए उन्होने इतना फ्राड रचा है हम यहा उसका भण्डा फोडना चाहते है ताकि हाउस को पता चले कि हाउस की इज्जत को बरकरार रखने के बजाय उसे और नीचा गिराने का काम इन्होंने किया है।

तो मै बहुत न कहता हुआ आप मे सिर्फ यह कहना चाहता हू कि इसको प्रिविलेज कमेटी में आप भेज दीजिये। वहा इसकी छानबीन हो जाय। . . (**व्यवधान**) जो चार्जशीट इनके ऊपर लगी है उस चार्जशीट को अगर हम पढ सके आप उसके लिए उन्हे इजाजत दे दे टेबल पर रखने की तो बडी अच्छी बात होगी। क्योकि एक हमारे दोस्त के पास वह पडी हो तो वह तो हमे दे नही सकते जब तक कि वह हाउस की टेबल पर प्लेस नही की जाती। तो उसे हाउस की टेबल पर रखवा दे या कही लाइब्रेरी मे रख दे जैसे तुलमोहन राम का रखा है तो हम उसे पढ सकेंगे क्योंकि यह केस बहुत लम्बा-चौडा है, फ्राड का है और जितनी चीजे अनलाफुल इस्तेमाल हो सकती है, जितने रागफुल डीड्स हो सकते है वह सब किये है। यह जो फोर्जरी है यह सारी नगी होनी चाहिए। हम लोग चाहते है कि आप मेहरबानी करके इसको प्रिवलेज कमेटी मे भेजिये, वहा इस सारे मामले की छानबीन हो जायगी और यह पता चल जायगा कि कितना फ्राड करने के बाद भी ये इस हाउस में बैठे हुए है और इस हाउस की बेइज्जती कर रहे है।

श्री शशि भूषण (दिल्ली—दक्षिण) अध्यक्ष जी, मुझे गोयनका जी से हमदर्दी है। वे इस सदन के सदस्य है और एक सदस्य होने के नाते मै नही चाहता कि किसी मेम्बर पार्लियामेन्ट के व्यक्तित्व पर इस तरह से लाछन लगे, इस तरह से देश के अखबारो मे छपता रहे और उससे सदन की मर्यादा को चोट पहुचे।

अध्यक्ष जी, यह ब्लिट्ज अखबार है—इस दफा का ताजा अंक है--इसमे निकला है—"सेठ रामनाथ गोयनका अदालत के कटहरे मे. . बैंक को धोखा देने का आरोप। लोक सभा मे रामनाथ गोयनका के बारे मे हो-हल्ले की तुलना तुलमोहन राम के बारे मे हुए हगामे से इस लिये की जा रही है कि उनके तथा दूसरे पाच आदमियो के खिलाफ अखबारी कागज मे घोटाले का अभियोग-पत्र पेश किया गया है।

यह मामला यहा के प्रमुख नगराधीश के इजलास मे 30 नवम्बर को सी०बी०आई० की तरफ से दायर किया गया। अभियोग-पत्र मे खास इलजाम यह है कि इन लोगों ने, जिनमे गोयनका के बेटे और पतोहू भी शामिल है, 1968 मे अखबारी कागज के ऐसे भडारों के बारे में "गलत बयान" दे कर, जिसका कही कोई नाम-निशान भी नही था, पजाब नेशनल बैंक को धोखा दिया, जिसका इस्तेमाल शेयर बाजार के धधे के लिये किया गया था।'

अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल मे नही जाना चाहता, लेकिन चूकि इन्होंने सदन को भी बीच में शामिल किया है और यह कहा है कि चूकि मै लोक सभा का मेम्बर चुना गया, इस लिये विरोधी दल की सरकार ने इनके खिलाफ़ मुकदमा दायर किया।

हालांकि हाईकोर्ट में इनकी पेटीशन रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द हुई। यह केस एक पुराना केस था, जब कि ये मेम्बर नहीं थे—लेकिन मेम्बर बनने के बाद इन्होंने बहुत से सबस्यों को, सरकार के जिम्मेदार लोगों को इसमें घसीटा और कहा कि यह उनसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारे—यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यह इनके मेम्बर होने के बाद का है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक बात बतलाइये—मेम्बर होने के नाते और खास तौर से अपोजीशन का मेम्बर हो—उस सूरत में क्या फर्क पड़ेगा। रूलिंग पार्टी का हो तो हो सकता है, लेकिन अपोजीशन से क्या लेना है?

श्री शशि भूषण मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू—जब एक सदस्य अदालत में यह कहे कि मेरे चुने जाने के बाद विरोधी दल ने ऐसा किया—इन के लिये विरोधी दल हम हैं—कि इन के खिलाफ केस दायर किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि यह गलत है—इस का क्या मतलब है? कम से कम इनको यह नहीं कहना चाहिए था, जब कि इन के खिलाफ फ्राड का चार्ज है वे हैविचुअल आफेण्डर है—सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी केस को टालने के लिये ये सुप्रीम कोर्ट तक गये। सी०बी०आई० के इन पर पचासो चार्जिज लगे हुए है लेकिन ये बराबर सी०बी०आई० को कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि पैसे के बल पर वर्षों तक अदालत में लड़ सकते हैं, केसेज करते है, गवाहो के खिलाफ स्टे ले आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुचते हैं। इनके खिलाफ जितने चार्जेज लगे हुए है, अगर वास्तव मे हम लोग चाहते यह सोच कर कि ये विरोधी दल मे हैं, इस लिये इनका विरोध करना है, तो अब तक तो कई बार ये जेल गये होते, लेकिन यहा पर ये प्रजातत्र का फायदा उठाना चाहते हैं। झुनझुनवाला जी जो यहा के मेम्बर हैं, उनको भी उन्होने धोखा दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं ..व्यवधान..

अध्यक्ष जी, कल जब यहा बात चल रही थी तो यहा किसी साहब ने कहा कि ये फीरोज गाधी साहब को अपने यहा सर्विस में रखे हुए थे। अध्यक्ष जी, वे आनेस्ट आदमी थे, इनके यहा नौकरी करते थे, जब मूदड़ा के खिलाफ उन्होंने सदन में कुछ सवाल उठाये तो ये नाराज हो गये कि मारवाड़ी बिरादरी के खिलाफ़ क्यों उठा रहे हो, तब उन्होंने रिजाइन कर दिया और इनको कहा कि मुझे तुम्हारी नौकरी की बिलकुल परवाह नहीं है .....

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : उस वक्त फीरोज गाधी जिड़ला के साथ थे।

श्री शशि भूषण : मैंने डा० लोहिया के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अभी जवाहर लाल नेहरू का नाम न ही लिया गया है, उनका नाम भी आयेगा।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष जी, मैं जवाहरलाल जी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस लिये कि अगर इन्होंने उनके गांव में उनका मकान

[श्री शशि भूषण]

बनवाया हो या ये उनके मूवमेन्ट के साथ हों तो इससे मुझे कोई मतलब नही है। इनका पैसा है, जिसको चाहे दें। यह जो चर्चा शुरू हुई है कि ये जयप्रकाश जी .

श्री जनेश्वर मिश्र : इन्दिरा गाधी के लिये होटल खुलवाये तब भी कोई एतराज नही होगा—इन सारी बातो पर चर्चा होगी।

श्री शशि भूषण : यह तो जयप्रकाश जी की अपनी ईमानदारी है, वे जिससे मदद लेते है—इस मे न मिश्रा जी को सफाई करने की जरूरत है और न इनको। उनको जब इस सदन की कार्यवाही का पता लगेगा तब वह देखेगे, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नही है। लेकिन अगर इनका फ्रन्ट इस बात का दबाव डालना चाहता है कि सरकार इनके केसेज वापस ले ले तो यह सम्भव नही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह तो सूरज को कीचड उछालना है।

श्री शशि भूषण : पता नही, ये किसको रात मे सूरज समझते है।

ये बडे शौभाग्यशाली है—जनसघ के सिम्बल पर यहा आये और फिर उसको छोड दिया। रानी ने इनकी मदद की थी . .

MR. SPEAKER: Mr. Unnikrishnan spoke the other day for quite a length of time and I did not interrupt him even for once because all the time he was relevant. So, please do not get yourself involved in this thing and that thing. You please explain the points at issue.

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष जी, मैं महारानी का जिक्र नही करना चाहता हूं—जिनको इन्होंने ब्रिट्रे किया। लेकिन मै इतना जरूर कहना चाहूगा कि तुलमोहन राम का जो केस है, वह इनके मुकाबले मे ऊट के मुह मे जीरा है। यहा पर कहा गया है कि उन्होने 50 हजार रुपये लिये, उनके मुकाबले मे तो यहा करोडो रुपये का घोटाला है। एक गरीब हरिजन के पीछे सारे लोग पड गये, वहा 50 हजार रुपये का मामला है और उसका भी अभी फैसला होना है, लेकिन यहा तो करोडो रुपये का घोटाला है। तुलमोहन राम और गोयनका की बराबरी नही हो सकती—कहा राजा भोज और कहा गगवा तेली। मै तो इतना ही चाहता हू कि जो चार्जशीट इनके खिलाफ अदालत म पेश की गई है—मै आप की मार्फत मत्री जी से कहूगा—वे यदि इस सदन के मेम्बरो को उसे पढने की इजाजत दे सकें—ऐसी जगह रख दे। जैसे तुलमोहन राम के खिलाफ जो चार्जशीट लाइब्रेरी मे रखी गई वैसे ही इनकी चार्जशीट भी लाइब्रेरी मे रखी जाय, हर जबान मे ट्रासलेट करके, ताकि लोग कम्पेयर कर सके कि कौन कितना दोषी है, और वह लोग भी जो विरोधी दल के इनकी रक्षा कर रहे है, जो इनकी रक्षा पर जीवित है, वह भी दोनो का मुकाबला कर सके। मुझे विश्वास है आप इस पर निर्णय देगे और गृह मत्री को कहेगे कि श्री गोयनका से सबधित चार्जशीट लाइब्रेरी मे रखी जाय।

13 hrs.

श्री बसत साठे : ज्यादा अच्छा होगा अगर "इडियन ऐक्सप्रेस" और "ऐवरीमैन" अखबारो मे वह छप जाय।

श्री शशि भूषण : तुलमोहन राम का स्पेशल केस क्यो हो ? अगर उससे बडा कोई 420 हो तो वह भी सब को पता लगना चाहिए । . (**व्यवधान**) क्योकि वह काग्रेस का है और यह विरोधी दल के है इसलिये दोनो मे भेद किया जा रहा है ।

MR SPEAKER What happened in Tul Mohan Ram's case will not be a precedent for future

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तुल मोहन राम का कोई काउन्टरपार्ट नही है । यह सिर्फ इसलिये कि काग्रेस का कोई सदस्य ऐक्सपोज हुआ है इसलिये विरोधी दल के भी किसी सदस्य को काउन्टरपार्ट बनाने की कोशिश कर रहे है । (**व्यवधान**)
तुल मोहन राम ही नही इनके मिनिस्टरस के ऊपर भी भ्रष्टाचार के चार्जेज है । उनका काउन्टरपार्ट कौन मिलेगा ? . (**व्यवधान**) कौन चीज चल रही है कुछ समझ मे नही आता है । हम लोग अगर इर्रेलीवेंट बोलते है तो कदम कदम पर आप हम लोगो को पकडते है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय शशि भूषण जी, कुछ मेरे साथ भी तो बातचीत कीजिये । आप ने सारा समय ले लिया ।

श्री शशि भूषण : मैं मिश्रा जी को बताना चाहता हू कि तुल मोहन राम और गोयनका जी की तुलना नही करनी चाहिए । कहा एक अरबपति आदमी और कहा गगुआ तेली । यह तो वर्षों से चीटिंग करते आ रहे है । आप ने कहा तुल मोहन राम का स्पेशल केस था । तो स्पेशल केस इनका बनाना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हाउस का फैसला है, मेरा फैसला थोडे ही है ।

(*Interruptions*)

MR SPEAKER I am not allowing any other gentleman He has not given notice

SHRI H N MUKERJEE (Calcutta—North-East) How can you lay down such a law? I am not going to give you notice because in a privilege matter I am entitled to make extraneous intervention

श्री शशि भूषण अध्यक्ष जी यह समद की मर्यादा का प्रश्न है ।

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय मै भी अगर हु हु कर दू तो कैसा लगे । यह भी कोई बात है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) Is this the language you use?

SHRI K P UNNIKRISHNAN (Badagara) Please, pull him up

श्री ज्योतिर्मय बसु · मै भी बोलूगा ।

अध्यक्ष महोदय : बोलेगे तो बगैर इजाजत नही बोलगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बडे बडे पूजीपतियो की सारी लिस्ट हम लोगो के पास है। हुजूर यह लोग फाइले बेचते है परमिट कोटा लाइसेस बेचते है । विरोध पक्ष के हाथ मे क्या है जो उद्योगपतियो का समर्थन करे ?

श्री शशि भूषण : माननीय मिश्र जी मत्री रहे है इन्हे तजुर्बा है क्या बेचते है ।

MR SPEAKER Why are you involving yourself with this Member or that Member? Why don't you address the Chair?

श्री शशि भूषण : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र तीन चीजों पर आधारित है : (1) हमारी संसद, (2) अखबार, (3) चर्च भी हो सकता है। तो जहां तक चर्च का सवाल है माननीय उन्नीकृष्णन् ने कहा कि वेंकटेसन के मन्दिर को इन्होंने चीट किया। "ऐवरीमैन" वगैरह जितने अखबार है लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, यह पैसा कहा से आता है। "इंडियन ऐक्सप्रैस" इनके पास है। तो इन्होने भारत के चर्च को इस्तेमाल किया, जनसंघ के सिम्बल को इस्तेमाल किया, भारत के मोनोपलिस्ट अखबारों को इस्तेमाल करते हैं, और इस संसद का इस्तेमाल करते है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है। तुल मोहन राम के पास तो कुछ नही है। और यह देश के बड़े-बड़े आन्दोलन अपनी जेब में रखते हैं, सरकार से कहते हैं कि केस वापस ले लीजिये। इसलिये स्पेशल केस इनका बनाइये और जो चार्जशीट इनके खिलाफ़ भारत सरकार ने अदालतों मे पेश की है उसको लाइब्रेरी में रखा जाय। और आइन्दा भी जो इनके खिलाफ चार्जशीट पेश होने वाली है, जैसे ही अदालत मे पेश हो, उसको भी लाइब्रेरी में रखें। इनके मददगारो पर मुझे दया आती है जो इनके अखबार से, पैसे से भय खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर किसी भी सदस्य पर 420 का मुकदमा चल रहा हो और एक सदस्य उनकी मदद करे और उनकी चर्चा हो तो यहां लोग खड़े हो जायं कि जयप्रकाश जी का नाम क्यों ले लिया, यह उचित नहीं है। इसलिये इनके खिलाफ चार्जशीट जो भी है वह हम लोगों को मिल सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको लाइब्रेरी में रखा जाय।

MR. SPEAKER: Mr. Vayalar Ravi.

SHRI VASANT SATHE: Sir, I rise on a point of order if you allow me..

MR. SPEAKER: No, no. I am sorry.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I rise on a point of order.

SHRI VASANT SATHE: I do not want to make a speech. I want to rise on a short point of order, with your permission.

MR. SPEAKER: What shall I do? In this case it took us the whole day. It is again going beyond the lunch hour.

SHRI BHOGENDRA JHA: I shall be totally relevant in my point of order.

MR. SPEAKER: I am not concerned whether it is useful or not. You had your chance the other day. I shall listen to the other hon. Members only for one minute.

SHRI SAMAR GUHA: My point of order relates to the points that you have permitted on this privilege motion against Shri Goenka on the basis of one specific news—the news that appeared in the *Patriot*—which related to a case instituted against him in a metropolitan court in Madras. And many hon. Members have mentioned about many C.B.I. reports and he was described as a habitual offender. All kinds of words were used against him. I want your ruling on this. There are violent accusations made against the Member without any document against him. The Members mentioned about certain informations relating to different ministries and those files have not been made public; nor have they been laid on the Table of the House. The hon. Members have made these accusations in Parliament about which there is no notice given and

no information was given in this House. I want to know whether, before such observations are made, you in your wisdom, would ask all the Ministers concerned to lay all the relevant papers on the Table. Only after that, you will allow the Members to make such accusations. Otherwise, we are completely in dark. These are wild accusations made against the hon. Member.

MR. SPEAKER: Mr. Shamim, are you also raising a point of order?

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): My point of order to the privilege motion is relevant. What you should decide is whether Mr. Goenka's conduct as Member of Parliament can be discussed in respect of charges made against him. I can understand the hon. Members being concerned about a Member's misconduct. May be, about six months ago, there was a chargesheet against Shri A. K Sen whose passport had been impounded. And not once this issue was raised. How can you hear them without a notice? When the case is in a court, can his conduct be discussed here? Mr. Goenka's name should have found a third place in the list; Mr A. K. Sen's name should come first and Shri Tulmohan Ram's name should come next and then Mr. Goenka's name should come.

MR. SPEAKER: Do not make a speech. What is your point of order?

SHRI S. A. SHAMIM: What I am submitting is this. Can you allow either Shri Mishra or Sashibhushan to refer to Mr. Goenka's conduct not once but many times? This is what all these Members are doing outside. I warn this House that if everybody's conduct is to be discussed in this House, then the Parliament is left with hardly five or six Members including myself. Therefore, don't throw the flood gate open as this may boomerang.

SHRI VASANT SATHE: Sir, my point of order, if Mr. Jyotirmoy Bosu allows me, is under Rule 222. When I am raising a point of order, I must say under what Rule I am doing it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): How can it be under Rule 222? That is for privilege.

SHRI VASANT SATHE: You were pleased, in your wisdom, to allow us in this House to make submissions so as to enable you to come to a decision whether you should give your consent ..(*Interruptions*). Sir, if I understand it correctly, the speeches are not being made here under Rule 225

MR SPEAKER: Kindly conclude in a minute.

SHRI VASANT SATHE: Sir, if I understand you correctly, you, in your wisdom, have decided to take the learned views of the hon. Members to enable you to come to a decision whether you should give your consent or not. If I understand you right, you are not allowing these submissions under Rule 225. Therefore, Sir, if this is what you are asking, then, to enable you to come to a decision, in this case as to whether there is a *prima facie* case of misdemeonour, of a conduct derogatory to the dignity of a Member of Parliament so that where a *prima facie* case exists against a Member, that he is not fit to be a Member of this fraternity—I think this is what you want to decide....

MR. SPEAKER: Please sit down. I understand everything.

SHRI VASANT SATHE: In your wisdom, you gave the guidance the other day in Tulmohan Ram's matter. You said, Sir, that you will not give a direction to the Government, but, if the Home Minister is willing to keep the chargesheets on record, you will have no objection. This is what you have said. In justice, you must at least say that in this case also.

[Shri Vasant Sathe]

You must remark in your kindness that the Government and the Home Minister may, if they want, place these chargesheets for our knowledge. Will you say this such? This is my point of order. I want your ruling on this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, we are concerned to hear things which are not good for this House It is very important that we try and put our finger on the right pie. There are two things. We wanted statements from the concerned Ministries whether Mr Ramnath Goenka, as a Member of Parliament had allegedly put pressure to advance his own personal interest. Secondly, we are also anxious and we are interested that the CBI reports with regard to his cases be placed on the Table of the House. We have said if on Friday time and again. Instead of beating about the bush and denigrading this House, let us deal with the business firmly and methodically. We want these two documents and these information to be made available to the Members of the House so that we can certainly proceed against these Members who are doing things which are not proper for a Member of Parliament.

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla): Sir, during the last 4-5 years, I have always obeyed you But, I have always been ignored. I feel that I have always been ignored because I cannot shout. I am, therefore, forced to shout. Since I have always been ignored, up till today, I walkout of the House.

Shri Syed Ahmed Aga then left the House

MR. SPEAKER: We will take up everything on this issue tomorrow.

AN HON. MEMBER: On a point of order.

MR SPEAKER: No points of order now. We will resume it tomorrow.

SHRI VASANT SATHE: At least express yourself.

MR. SPEAKER: Papers to be laid on the Table. Shri Pranab Kumar Mukherjee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा है कि आप श्री गोयन्का के मामले में चर्चा कल जारी रखेंगे। लेकिन आप 7 दिसम्बर का बुलिटेन देख लीजिए, जो आप के सेक्रेटेरियट ने जारी किया है। उस में श्री तैयब हुसैन के बारे में लिखा है कि प्राइमा फ़ेसी केस है, उन पर धोखा करने का आरोप है और मामले अदालत में चल रहे है। कोई कांग्रेस का मेम्बर उन के ख़िलाफ़ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया है। (व्यवधान) हम भी नहीं लाये है, क्योंकि पार्लियामेंट के मेम्बर के नाते उन का आचरण जुड़ा हुआ नहीं है। श्री गोयन्का उद्योगपति के नाते जो कुछ करते है, वह एक अलग प्रश्न है।

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA FOR 1974 UNION GOVERNMENT (COMMERCIAL) PART I.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974—Union Government (Commercial) Part I—Introduction, under article 151(1) of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT-8757/74].